



DIGITAL
LIFE

क्रमांक / जिडिफाइल / ओएफसी / वन भूमि / अनापत्ति / 2021

रायपुर, दिनांक : 26.10.2021

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
कलेक्टोरेट परिसर, बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाठापारा (छत्तीसगढ़)

विषय: बलौदाबाजार-भाठापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाले राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदाय करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत बलौदाबाजार-भाठापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर 4जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान करने हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है तथा इस मार्ग में शामिल राजस्व वन भूमि का विवरण संलग्न है।

शासन के निर्देशानुसार एवं वन विभाग के गार्ड लाईन के अनुसार राजस्व वन भूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित कलेक्टर से लिया जाना आवश्यक है।

अतः महानुभाव से अनुरोध है कि कृपया उक्त मार्ग में सम्मिलित राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु राजस्व वन भूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

4th Floor, Office Block, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-49201

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652

Registered Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.
Tel no. 079-35600100

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
कलेक्टोरेट परिसर, बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)

विषय: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाले वनभूमि (वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि) का वन अधिकार (मान्यता) प्रमाण-पत्र (FRA) प्रदाय करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गों के सड़क सतह समानांतर 4जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान करने हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है तथा इस कार्य में प्रभावित हो रहे वनभूमि (वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि) का विवरण संलग्न है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु संबंधित कलेक्टर से वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसार वन अधिकार (मान्यता) प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है ।

अतः महानुभाव से अनुरोध है कि कृपया उक्त मार्ग में सम्मिलित वनभूमि (वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि) का वन अधिकार (मान्यता) प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रदान करने का कष्ट करें।



(अमर कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)